रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 844] नई दिल्ली, शुक्रवार , अप्रैल 12, 2013/चैत्र 22, 1935
No. 844] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2013/CHAITRA 22, 1935

Indiacode

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

का.आ. 958(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 22 अप्रैल, 2013 को एतद्द्वारा उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के प्रावधान भारतीय भूमि में स्थित पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नामक स्वायत्तशासी निकाय पर लागू होंगे और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) में दिनांक 2 मई, 1986 की सा.का.नि. 730(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, क्रमश: निम्नलिखित संख्या और प्रविष्टियाँ अंतर्वेशित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	निगम/सोसायटी/अन्य प्राधिकरण का नाम	स्थिति
1.	2.	3.
• ''205.	पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण	कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधीन स्वायत्तशासी निकाय''

[फा. सं. पी-13030/1/2012-ए.टी]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना सं. सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

सा.का.नि. 1172(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 1986
सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1987
सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 11 जुलाई, 1995
सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 17 दिसंबर, 1998
सा.का.नि. 8(अ), दिनांक 4 जनवरी, 2002
सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2006
का.आ. 1228(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2007
का.आ. 1823(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2007
का.आ. 906(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008
का.आ. 2580(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2008
का.आ. 2824(अ), दिनांक 01 दिसंबर, 2008
का.आ. 727(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010 और
का.आ. 2411(अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2010

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PERSONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2013

S.O. 958(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 22nd April, 2013 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority being an autonomous body within the territory of India and makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) published *vide* number G.S.R.730(E), dated the 2nd May, 1986, namely:—

In the Schedule to the said notification, after serial number 204 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

IndiaCode

S.No.	Name of the Corporation/Society/Other Authority	Status
1.	2.	3.
" 205.	Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority	Autonomous body under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation)."

[F. No. P-13030/1/2012-AT]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 730(E), dated the 2nd May, 1986 and subsequently amended *vide* following notification numbers:—

G.S.R. 1172(E), dated the 31st October, 1986;
G.S.R. 84(E), dated the 6th February, 1987;
G.S.R. 409(E), dated the 20th April, 1987;
G.S.R. 542(E), dated the 11th July, 1995;
G.S.R. 748(E), dated the 17th December, 1998;
G.S.R. 8(E), dated the 4th January, 2002;
G.S.R. 499(E), dated the 23rd August, 2006;
S.O. 1228(E), dated the 25th July, 2007;
S.O. 1823(E), dated the 25th October, 2007;
S.O. 906(E), dated the 22nd April, 2008;
S.O. 2580(E), dated the 31st October, 2008;
S.O. 2824(E), dated the 1st December, 2008;
S.O. 727(E), dated the 31st March, 2010 and
S.O. 2411(E), dated the 4th October, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054